समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
22.09.2020	(see below)	

उत्पाद वाद संख्या-184/2020

(के0 नगर थाना काण्ड सं0-59/2019 से उत्पन्न)

राज्य

बनाम

1. भगत महतो, पिता-जागो महतो, द्वारा-हरिजन मजदूर, सा0-टिकियापाड़ा, थाना-सिलिगुड़ी, पिन नं0-734001, पश्चिमबंगाल। (जप्त HYUNDAI CAR NO.-WB74E-6691 के निबंधित स्वामी)

.... *विपक्षी*

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 859/हि0शा0 दिनांक-05.03.2020** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक** 18.02.2019 को बाघमारा **पेट्रोलपम्प के पास की गई।** जांच के क्रम में विपक्षी के जप्त वाहन से **OFFICERS CHOICE WHISKY का 180 मि0ली0 वाला 135 पीस, 375 मि0ली0 वाला 40 बोतल, ROYAL STAG WHISKY का 375 मि0ली0 वाला 38 बोतल एवं CANBEER का 500 मि0ली0 वाला 19 पीस विदेशी शराब पाया** गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर **के0 नगर थाना काण्ड सं0-59/2019 दिनांक 18.02.2019** दर्ज कराई गई। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु ज्ञापांक 1987/विधि दिनांक 13.07.2020 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया, जिसे डाक विभाग द्वारा बिना तामिला का वापस कर दिया गया, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया से जप्त वाहन के मालिक (विपक्षी) का नाम / पता प्राप्त कर नोटिस भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया, जो बिना तामिला के वापस प्राप्त हुआ। वाहन मालिक द्वारा भी इतने दिनों तक अपने वाहन की खोजबीन नहीं की गई। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त HYUNDAI CAR NO.-WB74E-6691** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक, मद्यनिषेध, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

अज्ञात विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।